राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

RNI.No. UPHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करे
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | 9511151254 | epaper.swatantraprabhat.com | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर ,सोमवार , 03 मार्च 2025

वर्ष 13, अंक 307, पृष्ट 04,मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

बीएल वर्मा छात्रवृति योजना से छात्रों के ख्वाबों में लगेंगे पंख ...03

प्रशासन की नाकामी पर भड़की किसान यूनियन चेतावनी के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं...04

महाराष्ट्र चुनाव धांधली के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा

ब्यूरो प्रयागराज। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। उसका कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर इस मुद्दे की अनदेखी कर रहा है। क्योंकि बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए उसके साथ मिलकर इस खेल को खेला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गिने गए वोट और डाले गए वोट के बीच काफी अंतर है। इस पर अभी भी विवाद हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार,विधानसभा में अंतिम मतदान 66.05% था यानी कुल 64,088,195 वोट। हालाँकि, गिने गए कुल वोटों का जोड़ 64,592,508 है, जो कुल पड़े वोटों से 504,313 अधिक है। हालाँकि आठ विधानसभा क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम थी, शेष 280 निर्वाचन क्षेत्रों में, गिने गए वोट डाले गए वोटों से अधिक थे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर एक बैठक शुक्रवार 28 फरवरी की। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, ÷हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में यह उठाया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रूप में संकलित अंतिम मतदाता सूची मांगी थी। भारत का चुनाव आयोग डर रहा है और देरी करने की रणनीति अपना रहा है। इसलिए, हमने इस लड़ाई को जनता की अदालत में ले जाने का फैसला किया है। हम हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में की गई %धोखाधड़ी% के खिलाफ एक जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और तथ्यों को जनता के सामने लाएंगे।÷

एआईसीसी सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा, पार्टी ने जब दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी मांग रखी, तो चुनाव आयोग ने तीन और महीनों की मांग की। एक तरफ वो दावा करता है कि चुनाव व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ जानकारी साझा करने से इनकार करता है। सोलापुर जिले में मरकडवाडी गांव के लोगों ने चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि उन्होंने जिसे वोट दिया था, वो प्रत्याशी नहीं जीता। वहां आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिले। इसीलिए मरकडवाडी के लोगों ने वहां मॉक मतदान आयोजित किया। ग्रामीणों ने खुद के खर्चे से बैलट पेपर से वोटिंग की व्यवस्था की। ग्रामीणों ने तय किया है कि मतपत्र से वोटिंग 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती होगी और परिणाम आएगा। यह गांव मालशिरस विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां से शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी उत्तम जानकर और बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते के बीच कड़ी टक्कर थी। इसमें उत्तम जानकर ने जीत हासिल की। लेकिन मार्कडवाडी गांव में सातपुते को ज़्यादा वोट मिले। सातपुते को 1003 वोट मिले, जबकि जानकर को गांव से मात्र 843 वोट मिले। ग्रामीणों में इसी को लेकर नाराज़गी थी। इसलिए उन्होंने मॉक वोटिंग का फैसला किया। लेकिन इससे पहले वोटिंग होती जिला प्रशासन ने मरकडवाडी में धारा 144 लगा दी। यह इशारा था कि मॉक वोटिंग नहीं होने दी जायेगी। चुनाव आयोग इस मॉक वोटिंग से कुछ ज्यादा ही डर गया था। सूत्रों का कहना है कि उसकी सलाह पर ही वहां धारा 144 लगाकर मॉक वोटिंग रोकी गई। बाद में गांव वालों को सबक सिखाने के लिए 200 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इसके बाद अकोला जिले के बालापुर क्षेत्र के तुलजापुर गांव और पातुर तहसील के बेलतला गाँव में मॉक पोल आयोजित करने की घोषणा की गईकहा जा रहा है कि भले ही यह वोटिंग नहीं हो पाई, लेकिन इसने कई जगहों पर लोगों को मॉक पोल के ज़रिए प्रतिकात्मक विरोध-प्रदर्शन की एक राह दिखाई है। कांग्रेस ने इसी संदेश को पकड़ा है और आंदोलन की घोषणा की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे। जिसमें महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हो गई ! जबकि, 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक पांच साल में महाराष्ट्र में सिर्फ 37 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई थी। जबकि इस बार पांच महीने में 47 लाख मतदाता बढ़ गये। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि नए मतदाताओं की संख्या कुछ विधानसभा क्षेत्रों में विशेष रूप से अधिक थी। सिर्फ 78 विधानसभा सीटों में 18 लाख से अधिक नए मतदाता जोड़े गए, जहां बीजेपी ने 68 सीटें जीतीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर उठाया। उन्होंने कहा कि अकेले शिरडी क्षेत्र की एक बिल्डिंग में ही सात हजार नये मतदाता बढ़ गये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ने ही चुनाव धांधली के मुद्दे को उठाया। वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) ने महाराष्ट्र चुनाव परिणामों में शाम 6 बजे के बाद डाले गये 76 लाख वोटों का विवरण मांगने के लिए याचिका दायर की। मतगणना के दिन मतदान एजेंटों ने 99त्न बैटरी होने की कई शिकायतें दर्ज कराईं। लेकिन उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट को मंगलवार 25 फरवरी को चुनाव आयोग को बताया कि वो तीन महीने में फैसला लेगा कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को मतदाता सूची देना है या नहीं। सुरजेवाला ने आयोग से 2009 से 2024 के बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए चुनावों की मतदाता सूची मांगी है। हरियाणा और महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की काफी शिकायतें चुनाव के दौरान आई थीं। उसी वजह से कांग्रेस सांसद ने ईसीआई से मतदाता सूची मांगी। लेकिन इस मामले में ईसीआई हीलाहवाली कर रहा है। यानी वो मतदाता सूची नहीं देना चाहता। कांग्रेस की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ÷जवाब देने में दो महीने लग गए। दो महीने में उन्होंने कहा है कि अब हमें जवाब देने के लिए और समय चाहिए।

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य रोकने पहुंचे लखनऊ के डीएम

जमीन मालिक के साथ अभद्रता, गाली गलौज और मारपीट का संगीन आरोप

स्वतंत्र प्रभात

सीनियर पत्रकार - विपिन शुक्ला

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला रानी लक्ष्मीबाई मार्ग स्थित एक भूखंड का है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य को जबरन रुकवाने का आरोप एसडीएम अर्जुन शशि भूषण पाठक और लखनऊ के जिलाधिकारी पर लगा है। पीड़ित राजेश कुमार रस्तोगी पुत्र श्री प्रताप चंद्र रस्तोगी, निवासी पीली कोठी, ड्योढ़ी आगामीर, लखनऊ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की शिकायत की है। राजेश रस्तोगी ने पत्र में बताया है कि वह भूखंड संख्या-12, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग के विधिक स्वामी हैं। उक्त संपत्ति को लेकर चले मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ ने 14 फरवरी 2025 को अंतिम निर्णय उनके पक्ष में सुनाया था, जिसके बाद वह अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करा रहे थे। राजेश के अनुसार, 25 फरवरी 2025 को सुबह करीब 11:30 बजे एसडीएम अर्जुन शशि भूषण पाठक मौके पर पहुंचे और बिना किसी वैध कारण के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और धमकी भी दी। कुछ देर बाद स्वयं जिलाधिकारी लखनऊ भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने न केवल निर्माण कार्य रुकवाया, बल्कि मौके पर मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज और अभद्रता की। राजेश रस्तोगी का आरोप है कि इस अफरा -तफ़री के दौरान वह सीढ़ियों से गिरकर चोटिल हो गए। राजेश ने यह भी बताया कि जब उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी दिखाकर वैध निर्माण कार्य की जानकारी दी, तब जिलाधिकारी आगबबूला हो गए और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर मौके से चले गए। पीड़ित राजेश कुमार रस्तोगी ने मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ख़बर लिखे जाने तक पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता विपिन शुक्ला ने जिलाधिकारी लखनऊ से उनका पक्ष जानने के लिए उनके सीयूजी नंबर पर बात करने की कोशिश की लेकिन डीएम साहब की मीटिंग में व्यस्तता की वजह से उनका पक्ष नहीं रखा जा सका।

संक्षिप्त ख़बरें

जिलाधिकारी ने परीक्षा केंद्र रतनसेन इंटर कॉलेज बांसी का किया निरीक्षण

सिद्धार्थनगर । माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं मीडिएट की परीक्षा में शनिवार को प्रथम पाली की परीक्षा का रतनसेन इन्टर कालेज बांसी का जिलाधिकारी राजा गणपति आर0 ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरा कक्ष को देखा गया।सभी परीक्षा कक्षों के सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील पाए गए। इसके साथ ही प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि परीक्षा शान्तिपूर्ण, नकल विहीन एवं सुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए। जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को निर्देश दिया कि परीक्षा की समाप्ति के बाद विद्यालय भवन की पेन्टिंग कराए। मेरे द्वारा विद्यालय का पुनः निरीक्षण किया जायेगा।

बीडीओ ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ

महराजगंज। नौतनवां ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बगहा के नव निर्वाचित ग्राम प्रधान सलाहुद्दीन उर्फ भोला ने शनिवार को रतनपुर स्थित ब्लॉक मुख्यालय में पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। नौतनवा ब्लाक बीडीओ अमित कुमार मिश्रा ने नव निर्वाचित ग्राम प्रधान को शपथ दिलाई और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रभारी एडीओ पंचायत योगेश मद्धेशिया, ग्राम पंचायत सचिव देवेंद्र यादव समेत कई अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

शराब के ठेके के सामने से युवक की बाइक चोरी

कछौना, हरदोई। कोतवाली क्षेत्र कछौना के अंतर्गत शुक्रवार को अपराह्न शराब के ठेके के सामने व घर के पड़ोस में खड़ी स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल यू0पी030बी0बी03013 बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने मामले की शिकायत कोतवाली कछौना पुलिस से की है। बतातें चलें कुंदन गुप्ता पुत्र स्व0 राजबहादुर गुप्ता निवासी मोहल्ला पूर्वी चौराहा कछौना ने कोतवाली कछौना पुलिस से शिकायत की है कि शुक्रवार को अपराह्न शराब के ठेके के सामने व घर के पड़ोस में आवश्यक कार्य से स्पेलेण्डर मोटरसाइकिल यू0 पी0 30 बी0 बी0 3013 खड़ी कर टैक्टर में डीजल डालने हेतु लगभग 50 मीटर पर स्थित अपनी दुकान तक चलें गए, कुछ मिनटों बाद कार्य समाप्त कर जब वह वापस आये, ठेके के सामने खड़ी बाइक गायब मिली।

स्टाफ डैम में गुणवत्ता हीन कार्य को सफल बनाने में लगे हैं अधिकारी

स्वतंत्र प्रभात

शहडोल । जिले के ग्राम पंचायत करकटी भ्रष्टाचार की भारी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जी बात करे तो हाल ही में ग्रामीण यंत्री सेवा के मद से 34 लाख 21 हजार रुपए की लागत से बन रहे स्टाप डैम का कार्य घटिया सामग्री के साथ 12 एमएम की छड़ के साथ कार्य को किया जा रहा है जिसमें लोकल सीमेंट का भी उपयोग में लाया जा रहा है। स्टीमेट के विरुद्ध जाकर निर्माण एजेंसी अपने मनमानी तरीके से कार्य को संपूर्ण करने में जुटा हुआ है। जबकि नियम व प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कार्य की गुणवत्ता भी एकदम से घटिया कार्यों को किया जा रहा है। जिसकी शिकायत भी इंजीनियर के पास कई बार गया और पेपर के माध्यम से भी पत्राचार हुआ, पर आज तक आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ना ही इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है ।

नगर पालिका में बहे एक करोड रुपए की पुलिया इसकी संकेत तो नहीं दे रहा ग्राम पंचायत करकटी

अभी हाल ही में धनपुरी नगर पालिका के द्वारा एक करोड रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिससे कि लोगों की ज़रूरतें वह पानी की समस्याएं को दूर किया जा सके पर ठेकेदार की मनमानी और इंजीनियर की मिली भगत के एक करोड रुपए तो बह गया क्योंकि इसकी शिकायतें बार बार हो रही थी, और पत्राचार के माध्यम से भी कई बार गुणवत्ताहीन कार्य को लेकर पत्राचार हुआ था। पर इसकी जांच ना करके ठेकेदार के साथ घटिया निर्माण कर को पूर्ण किया जा रहा था , तभी बारिश हुई और एक करोड रुपए डह गया। जिसकी शिकायत पर आज दिनांक तक कार्यवाही के नाम पर केवल आश्वासन ही मिल रहा है और कुछ नहीं , ठीक इसी प्रकार ग्राम पंचायत करकटी में बना रहे 34 लाख रुपए की लागत से स्टाफ डेम को भी घटिया सामग्री के साथ गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी दर्ज हैं। गुणवत्ता की जांच ना की जाए और निर्माण कर एजेंसी अपने मन मुताबिक कार्य को पूर्ण करने में जुट जाए ऐसा पुलिया कब तक टिके रहेगा। यह एक जांच का विषय है-

सेफ्टी के नाम पर जीरो फिर भी निर्माण एजेंसी हीरो

ग्राम पंचायत करकटी में बन रहे 34 लाख 21 हजार रुपये की लागत से बन रहे स्टाप डैम में किसी भी प्रकार का कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही हैं। जिससे कि एक बड़ी दुर्घटना का बुलावा दिया जा रहा हैं। जबकि मजदूरों के लिए छाया का व्यवस्था और फर्स्ट एंड किट ,पीने का पानी तक का व्यवस्था निर्माण कार्य एजेंसी को किया जाना चाहिए।

निरीक्षण गुडवत्ता नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग किसकी

निर्माण कार्य एजेंसी अपने मन मुताबिक कार्य को किया जा रहा हैं जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसकी शिकायत तहसील से लेकर जिले तक हुआ पर आज दिनाँक तक कोई भी कार्य का निरीक्षण गुडवत्ता और मोनिटरिंग के नाम पर कोई भी अधिकारी इस ग्राम पंचायत में आने से कतरा रहे हैं। क्या अधिकारी की मिलीभगत से इस घटिया कार्य को किया जा रहा हैं।

कोतवाली प्रभारी व होमगार्ड जिला कमांडेंट ने प्रशस्ति पत्र देकर इन्द्रमणि सिंह को किया सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात

महराजगंज /रायबरेली। विगत माह की भांति इस माह भी 1 मार्च 2025 को होमगार्ड कंपनी का औचक निरीक्षण जिला कमांडेंट संजय कुमार शर्मा द्वारा किया गया तो लोगों के प्रति अच्छा कार्य व्यवहार अच्छी ड्यूटी एवं साफ सुथरा वर्दी से प्रभावित होकर जिला कमांडेड होमगार्ड रायबरेली संजय कुमार शर्मा व कोतवाली प्रभारी जगदीश यादव के द्वारा होमगार्ड प्लाटूंन कमांडर इन्द्रमणि सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया आपको बता दें कि महीने के 1 तारीख को एक महीने के बेहतर कार्य व्यवहार साफ सुथरा वर्दी तथा समय से ड्यूटी करने के मामले में कोतवाली प्रभारी जगदीश यादव द्वारा हर महीने एक व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है इसी क्रम में आज 1 मार्च को कोतवाली परिसर महाराजगंज में होमगार्ड प्लाटून कमांडर चंद्रमणि सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर सी.सी जसबीर सिंह, बुद्धसेन शर्मा, एस आई दिनेश गोस्वामी, हेड मुहारिर रविकांत पाण्डेय ,दीवान अजय चौधरी, हिमांशु ,कुंदन, बी ओ राजेश कुमार राय ,पी.सी रमेश मौर्य, रमापति बाजपेयी , राजेश कुमार सिंह ,रामदास यादव, सतीश प्रताप सिंह ,राम प्रताप यादव, मुकेश कुमार यादव, रामराज यादव ,लाल मोहम्मद , दिनेश सिंह, रामकुमार सिंह, जगदेव मिश्रा ,राम भुवन सिंह, धर्मदास, छेदीलाल ,रामकुमार यादव, रामजस मौर्य, ईशा मोहम्मद, धर्मेंद्र पांडे, शिवकरण यादव आदि मौजूद रहे।

येदियुरप्पा केस येदियुरप्पा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने संक्षेप में पृष्ठभूमि का उल्लेख किया

अगर कोर्ट ने धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश दिया है तो पीसी एक्ट मंजूरी की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 2018 के संशोधन के आवेदन पर विचार किया, जिसमें जांच के लिए भी पूर्व मंजूरी अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया था। न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि एक बार न्यायालय ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत जांच के लिए आदेश पारित कर दिया है, तो पीसी अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। न्यायालय ने पूछा कि क्या न्यायालय द्वारा जांच के लिए आदेश पारित किए जाने के बाद, जांच अधिकारी यह कहते हुए जांच को स्थगित कर सकता है कि सरकार से मंजूरी की आवश्यकता है? न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ वर्तमान में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत पूर्व मंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज विभिन्न तथ्यात्मक पृष्ठभूमियों से उत्पन्न पांच मामलों की सुनवाई कर रही है।इन मामलों में एक सामान्य मुद्दा यह उठता है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री के

खिलाफ संज्ञान लेने के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता थी, और क्या 2018 के संशोधन के बाद कानून की स्थिति में कोई अंतर आता है। येदियुरप्पा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने संक्षेप में पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। सबसे पहले, पूर्व सीएम के खिलाफ एक निजी शिकायत, जब वे अभी भी पद पर थे, को मंजूरी की कमी के कारण खारिज कर दिया गया था। दूसरा, चूंकि पहली शिकायत खारिज कर दी गई थी, इसलिए दूसरी शिकायत को बनाए रखने योग्य नहीं माना जा सकता क्योंकि आरोप एक जैसे थे। उन्होंने कहा कि पहला आदेश अंतिम रूप ले चुका था और इसे कभी चुनौती नहीं दी गई। इसके अलावा, दूसरी शिकायत भी बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि पूर्व सीएम अब लोक सेवक नहीं थे। उन्होंने कहा÷ अब आप झूठा दावा कर रहे हैं। पहली शिकायत में आप मुझे पूर्व मुख्यमंत्री बता रहे हैं। मान लीजिए, मैं पद पर था। दूसरी शिकायत में आप यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराते हैं कि उस समय मैं पद पर नहीं था...वह वही बात दोहराता है [पहली शिकायत की तरह] सिवाय इसके कि इस बार विशेष न्यायाधीश उसे पकड़ लेते हैं और उच्च न्यायालय उसे पलट देता है। विशेष न्यायाधीश कहते हैं, यही बात आपने पहले दौर में कही थी, दोनों ही दावे अलग नहीं थे...आपने पहला दावा किया, आप तब मुख्यमंत्री नहीं थे और अब भी मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप हार गए और आप नई शिकायत दर्ज करके उच्च न्यायालय के पिछले फैसले को पलटने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। यहां, दूसरी शिकायत को 2016 में ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि, 2021 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया और दूसरी शिकायत को पुनर्जीवित कर दिया। लूथरा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने न केवल शिकायत को बहाल करके गलती की, बल्कि 2018 के बाद कानून की स्थिति में हुए बदलाव के प्रति भी अनभिज्ञता दिखाई। 2018 के बाद, किसी लोक सेवक के कार्यालय छोड़ने के बाद, पीसी अधिनियम के तहत पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। इस पर, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पूछा÷ यह सब एक निजी शिकायत से शुरू हुआ और धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आदेश था। आपकी पहली दलील यह थी कि धारा 156 (3) का यह आदेश अपने आप में संज्ञान लेने के बराबर है। इसलिए, बिना मंजूरी के, यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता था... धारा 156 (3) के तहत आदेश, जैसा कि हम 1960 से जानते हैं, एक अंतरिम आदेश है। लेकिन एक आरोप पत्र दायर किया गया था, इसलिए कम से कम उस समय मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं?... हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आरोप पत्र गायब हो गया है, इसलिए उन्हें इस आधार पर नहीं जाना चाहिए कि जांच खराब है। उन्हें इस आधार पर जाना चाहिए कि जिस तारीख को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया था, उस दिन कोई मंजूरी नहीं थी। समस्या यह है कि जिस तारीख को संज्ञान लिया गया था, वे सार्वजनिक पद पर नहीं थे। मंजूरी के बारे में न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, मंजूरी के आधार पर शिकायत के लिए सामान्यतः न्यायालय कहेगा कि मंजूरी प्राप्त करें। इसलिए, यदि आप मंजूरी प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप आगे की कार्यवाही कर सकते हैं और इसलिए, दूसरी शिकायत स्वीकार्य हो सकती है। यह तकनीकी बिंदु पर है, गुण-दोष पर नहीं। लूथरा ने उत्तर दिया कि अब ऐसे अनेक निर्णय हैं, जिनमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मंजूरी से बच नहीं सकता और न ही लोक सेवक के पद छोड़ने तक इंतजार कर सकता है।

अवैध विदेशियों के मामलों में भारत को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए

भारत, एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा भूभाग स्मार्ट फैंसिंग रहित है, विशाल खुला समुद्री क्षेत्र है तथा कुछ स्थानों पर नदी के खुले किनारे हैं। ये वो स्थान है जो अवैध रूप से भारत में घुसने वाले विदेशियों को अवसर प्रदान करते हैं। भारत की संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि काम में रूचि रखने वाले गरीबों के लिए अर्थ उपार्जन के अवसर अन्य देशों की तुलना में यहां सहज रूप से मिल ही जाते हैं । क्योंकि भारतीय न सिर्फ सहिष्णु होते हैं अपितु उनमें गरीबों के प्रति सहायता, दया एवं करूणा कूट- कूट कर भरी हुई रहती है। भारत में शायद इसीलिए जगह-जगह पर आरामगाह/रात्रि विश्राम कक्ष, अन्नपूर्णा क्षेत्र, आश्रम खुले हुए हैं जहां बहुत कम टोकन राशि पर या निशुल्क भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वो भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के भेदभाव बिना। दान-पुण्य में विश्वास रखने वाले भारतीयों का एक वर्ग इन स्थानों के लिए खुले मन से सेवा और आर्थिक मदद करता है। किन्तु इसे भारत का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकारों के चाहने के बाबजूद भी भारत से भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचारी कोई न कोई रास्ता भ्रष्टाचार के लिए इजात कर ही लेते हैं। इसी बुराई के कारण घुसपैठियों का अवैध रूप से न सिर्फ भारत मे घुसना आसान हो जाता है अपितु भारत में रहने के लिए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड आदि) बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता है।कई विदेशियों को समय-समय पर इन नकली दस्तावेजों के साथ पकड़ा भी गया है।भारतीयों का इस तरह का व्यवहार ही दुनिया भर के घुसपैठियों को भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए आकर्षित करता है। भारत में अवैध रूप से कितने विदेशी लोग रह रहे हैं, इसका सही-सही आंकड़ा कोई नहीं जानता। किन्तु अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी संख्या लाखों में है।इन अवैध रूप से रह रहे विदेशीयों में एक वर्ग ऐसा भी है जो भारत में मौका मिलते ही आतंक वादी गतिविधियों को अंजाम देता हैं या नारकोटिक्स ड्रग तथा हथियार आदि की तस्करी जैसे गैर कानूनी धंधे में संलग्न रहता है, नकली करेंसी प्रिंट कर चलन में लाता है तथा खुफिया रुप से भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी भारत के दुश्मनों तक पहुंचाता है। ऐसी भी शंका व्यक्त की जा रही है कि इन्होंने मतदाता तथा आधारकार्ड जैसे पहचान पत्र ग़लत तरीके से प्राप्त कर लिये है जिसकी मदद से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वोटर कार्ड की शक्ति इन्हें राजनीतिक पार्टियों की शरण प्राप्त करने में मदद करती है। हाल ही में सिने स्टार सैफ अली खान के साथ घटी चाकू बाजी की घटना के बाद अब तो अपराधिक गतिविधियों में भी इनका हाथ प्रमाणिक रूप से सामने आने लगा है। इस तथ्य से भी शायद ही कोई इंकार करे कि अवैध रूप से विदेशियों का भारत में रहना सिर्फ देश की सुरक्षा के लिहाज से खतरा मात्र नहीं है, अपितु आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं क्योंकि ये अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक न सिर्फ भारत के नागरिकों का हक मारते हैं, अपितु देश के संसाधनों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, और सब्सिडी वाली सुविधाएं आदि। भारत में रह रहे अवैध विदेशी नागरिकों में मुख्य रूप से बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी आदि देशों के लोग का शामिल होना सामने आया है। ऐसा देखा गया है कि इनमें से कई लोग वैध वीजा पर भारत आते हैं, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने पर अपने देश वापिस जाने की वजह भारत में ही रुक जाते हैं। वहीं कुछ लोग बिना किसी वैध दस्तावेज के खुली सीमाओं के जरिए अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत में प्रवेश करते हैं तथा विभिन्न असंवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। भारत में घुसपैठियों की समस्या पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, मुंबई, और केरल जैसे बड़े महानगरों में ज्यादा गंभीर है, किन्तु ऐसा नहीं है कि इन्होंने अन्य राज्यों में अपना ठिकाना न बनाया हो।हर राज्यों में ये अपने मददगार खोज ही लेते हैं।एनआरसी के तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कुछ राज्यों में आरंभ भी हुई है, किन्तु कुछ राजनीतिक कारणों के चलते पूरे देश में 'अवैध विदेशी खोजों अभियान 'प्राथमिकता के आधार पर आरंभ नहीं हो सका है। मेरी दृष्टि में यह स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इनकी उपस्थिति भारत की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। हम सब इस घटना से वाकिफ ही है कि भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिकी राष्ट्रपति से अच्छे संबंध हैं, दोनों देशों के मध्य भी संबंध अच्छे ही है फिर भी अमेरिका ने अपने देश और देशवासियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत के नागरिक जो अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे थे एक अपराधी की तरह वापिस कर दिया। निश्चित रूप से इन भारतीयों ने गैरकानूनी रास्ता अपना कर भारत की छवि को नुक्सान पहुंचाया है। अतः भारत को भी अमेरिका की तरह अपने देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को चुन-चुनकर बाहर निकालने की कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। तथा राष्ट्र हित मे पार्टी पोलिटिक्स से उपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को सरकार के इस अभियान में सहयोग देना चाहिए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब विपक्षी पार्टियां सरकार पर विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए दबाव डालें। घुसपैठ रोकने के लिए यदि भारत को लगता है उसके कानून पर्याप्त नहीं हैं तो उसमें आवश्यक सुधार किये जाना चाहिए, साथ ही यदि सीमाओं को और अभेद्य बनाये जाने की जरूरत है,तो अविलंब इस पर काम शुरू होना चाहिए। घुसपैठ रोकने के लिए सार्वजनिक जागरूकता जैसे कदम उठाने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई भारतीय विदेशियों की सहायता न करें और न ही पनाह देने पर विचार करे।मेरा ऐसा मानना है कि भारत को अपनी सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए संतुलित और प्रभावी नीति अपनानी होगी, ताकि मानवीय मूल्यों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बना रहे।

डॉ मनमोहन प्रकाश

चंडीगढ़ के रॉक गार्डन पर बुलडोजर से आक्रोश

चंडीगढ़ में विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन पर में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पार्किंग स्थल तक दूसरी सड़क बनाने के लिए बुलडोजर चलाया गया था। शहर के उद्यान विरासत पर आधुनिक विकास की मांगों के कारण तोड़फोड़ से व्यथित निवासियों द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन के बीच इस विश्व प्रसिद्ध उद्यान की दीवार का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। रॉक गार्डन ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है और पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कला के प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। यह न केवल चंडीगढ़ आने वाले पर्यटकों के लिए बल्कि शहर के निवासियों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण है, जो सप्ताहांत में अपशिष्ट पदार्थों से बनी इसकी अद्भुत कलाकृति को देखने के लिए यहां आते हैं।

हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने रॉक गार्डन के एक हिस्से से सड़क को गुजरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसकी आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसने स्पष्ट रूप से पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं पर इसके पार्किंग स्थल को प्राथमिकता दी। रॉक गार्डन की दीवार के एक हिस्से को गिराए जाने पर सार्वजनिक विरोध ने निवासियों को पहले से कहीं अधिक एकजुट कर दिया है। अब वे शहरी नियोजन और उद्यानों के एक मॉडल के रूप में चंडीगढ़ के चरित्र की रक्षा के लिए एक आंदोलन शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

क्या राजनीति से उब गई हैं कंगना ?

अभिनेत्री से सांसद बनीं कंगना रनौत की अपने राजनीतिक कर्त्तव्यों से बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर भाजपा हलकों में चिंता व्याप्त है। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र से कई सप्ताह से गायब हैं। वह बजट सत्र के पहले आधे भाग में संसद से भी अनुपस्थित रहीं, उपस्थिति रजिस्टर में उनका नाम शून्य दर्ज किया गया। ऐसा लगता है कि वह अपनी फिल्म इमरजेंसी और मनाली में अपने नए खुले रेस्तरां माउंटेन स्टोरी के प्रचार में अधिक रुचि रखती हैं। जनवरी से, वह अपने सपनों के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मुंबई और मनाली के बीच आना-जाना कर रही हैं।

दुर्भाग्य से, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसे प्रतिकूल समीक्षा भी मिली है। उनके रेस्तरां की सफलता का आकलन करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मंडी में उनके लोग इस बात से परेशान हैं कि वह मनाली तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन पड़ोसी मंडी के लिए समय नहीं निकाल पातीं, जहां मतदाता उनसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले भाग में संसद में उनकी अनुपस्थिति पिछले दो सत्रों में उनकी स्पष्ट उपस्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जिसके दौरान उन्होंने टीवी कैमरों के सामने राहुल गांधी पर निशाना साधने में काफी समय बिताया।

क्या शिंदे से पीछा छुड़ाना चाहती है भाजपा?

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच के आदेश दिए हों, जिसमें वे स्वयं उपमुख्यमंत्री थे। यह असाधारण घटनाक्रम महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन सरकार को हिला रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पूर्ववर्ती एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। ऐसा लगता है कि फडणवीस दिखावे की परवाह नहीं करते हैं। वे पिछली सरकार में शिंदे के उपमुख्यमंत्री थे और इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते थे, इस समय शिंदे वर्तमान सरकार में उनके उपमुख्यमंत्री हैं। यह दिलचस्प है कि फडणवीस शिंदे को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं और उन्हें कमजोर करने के लिए दृढ़ हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा लिए गए कई निर्णयों की जांच के आदेश दिए हैं। इसमें किराए पर बसें, एंबुलेंस और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, सरकारी संस्थानों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म की खरीद, जालना में एक आवास परियोजना, एमएसपी पर फैसला और किसानों से फसल खरीदने के लिए नोडल एजेंसियों की नियुक्ति आदि भी शामिल हैं लेकिन शिंदे को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर यह है कि उनके करीबी कहे जाने वाले एक रियल एस्टेट डेवलपर पर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां ??जांच कर रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि शिंदे धमकियां दे रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें हल्के में न लिया जाए। जैसा कि उन्होंने भाजपा को याद दिलाया, यह वे ही थे जिन्होंने 2020 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करके और भाजपा के साथ एक वैकल्पिक सरकार बनाकर सरकार बदली थी।

झारखंड में विपक्ष के नेता को लेकर भाजपा असमंजस में

कई सालों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता की नियुक्ति में देरी और विभिन्न संवैधानिक पदों को भरने के फैसले को रोकने के लिए किसी राजनीतिक दल को फटकार लगाई है। इससे भाजपा के लिये परेशानी की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि उसने झारखंड विधानसभा में अपना नेता नियुक्त नहीं किया है, जबकि चुनाव तीन महीने से अधिक समय पहले संपन्न हो चुके हैं।

झारखंड में पार्टी में निर्णय लेने में असमर्थता दिख रही है, क्योंकि भाजपा लगातार दूसरी बार हार के बारे में सोच रही है। आरएसएस आदिवासी इलाकों में कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसा लगता है कि पार्टी विपक्ष के नेता के पद के लिए आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाने या अपने पारंपरिक वोट आधार उच्च जातियों और ओबीसी में से किसी को आगे रखने के बीच फैसला नहीं कर पा रही है। इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधीर हो रहे हैं और भाजपा के अनिर्णय का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

संसद और सर्वोच्च न्यायालय

1950 में जब भारत की अन्तरिम संसद द्वारा 26 जनवरी, 1950 को लागू स्वतन्त्र भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया तो हिन्दू महासभा व उसके वैचारिक साथियों के द्वारा इसे सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में चुनौती दी गई। हालांकि चुनौती पीयूसीएल (पब्लिक यूनियन आप सिविल लिबर्टीज) जैसी नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था के माध्यम से दी गई थी। न्यायालय ने संशोधन को पूरी तरह संविधान सम्मत पाया और याचिका को खारिज कर दिया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 19 में किया गया था जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता व आरक्षण को लेकर प्रावधान किये गये थे। यह संशोधन क्यों किया गया था, इसकी अपनी एक अलग कहानी है जिसे इस स्तम्भ में सीमित शब्दों में समेटना संभव नहीं है। यह संशोधन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा लाया गया था और उससे तत्कालीन कानून मन्त्री बाबा साहेब अम्बेडकर पूरी तरह सहमत थे। नेहरू जी ने जो संशोधन किया था उसका मूल यह था कि कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की आड़ में हिंसक विचारों का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकता है। भारत का पूरा संविधान ही मानवतावाद के इर्द-गिर्द घूमता है। पं. नेहरू द्वारा पेश किये गये इस संशोधन पर उस समय की अन्तरिम संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर बतौर कानून मन्त्री दो घंटे तक बोले थे और उन्होंने स्वीकार किया था कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को अविरल स्वरूप देने के जोश में वह इस पक्ष की अनदेखी कर गये थे। क्योंकि वैचारिक हिंसा का खुला प्रचार- प्रसार भारत की अहिंसात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली की जड़ें खोखली कर सकता है। डॉ. अम्बेडकर ने अपने दो घंटे के वक्तव्य में साफ करने की कोशिश की थी की भारत में हिंसा को बढ़ावा देने लिए कोई स्थान नहीं है। तब स्वतन्त्र भारत के लोगों ने सीधे संसद व सर्वोच्च न्यायालय के बीच के आधिकारिक सन्तुलन को परखा था। मगर दबे स्वर में यह सवाल भी उठा था कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय में कौन बड़ा है। इसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौर में यह बहस बहुत शोर के साथ शुरू हुई क्योंकि श्रीमती गांधी संसद की सर्वोच्चता की बहुत बड़ी पैरोकार थीं। इसकी वजह यह थी कि 1973 के केशवानन्द भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। इसके बाद 1974 में श्रीमती गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर क्रम में बहुत कनिष्ठ न्यायमूर्ति श्री ए.एन. राय को पदोन्नत कर दिया था। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के ही चार न्यायमूर्तियों ने इस्तीफा दे दिया था। इसी वर्ष भारत में शुरू हुए जेपी आन्दोलन में यह मसला भी एक मुद्दा बना था। जेपी आन्दोलन बेशक समग्र क्रान्ति का नारा लगा रहा था परन्तु यह इन्दिरा जी के शासन के खिलाफ ही था। हम यह सब भी जानते हैं कि 1975 जून महीने में इमरजेंसी लग जाने के बाद इन्दिरा गांधी ने ही संविधान की मूल प्रस्तावना में संशोधन किया था और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व देश की अखंडता के शब्द जोड़े थे। परन्तु यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे के ही अनुरूप था। यह संशोधन न्यायिक तसदीक पर भी खरा उतरा। सर्वविदित है कि इमरजेंसी के बाद देश में पंचमेल जनता पार्टी की सरकार स्व. मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब बनी तो उसने इन्दिरा गांधी सरकार द्वारा किये गये कई संशोधनों को निरस्त कर दिया मगर प्रस्तावना के मामले में उसने कोई छेड़खानी नहीं की। जाहिर है कि कांग्रेस विरोधी जनता पार्टी भी कहीं न कहीं संसद की सर्वोच्चता के समर्थन में ही थी। उसने इन्दिरा सरकार द्वारा 1971 में सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किये जाने के विरुद्ध इसे संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा जरूर बनाया मगर इसे मौलिक या मूलभूत अधिकारों की श्रेणी से बाहर ही रखा। इन्दिरा जी ने इस अधिकार को बैकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद मुल्तवी किया था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने इसे सम्पत्ति के मूल अधिकार के तहत ही अवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद 1971 में चुनाव जीत कर श्रीमती गांधी ने संविधान में संशोधन करके बैकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। ऐसा करके इन्दिरा गांधी ने संसद की सर्वोच्चता ही स्थापित की। उस समय यह भी सरकारी संशोधन किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को हिन्दी में उच्चतम न्यायालय कहा जाये। तब यह साफ हुआ कि संसद कोई नया कानून बना कर अपनी सर्वोच्चता को स्थिर रख सकती है मगर 1973 में केशवानन्द भारती केस ने इसकी सीमाएं नियत कर दीं। मौजूदा दौर में यह सवाल फिर से एक बार उभरा है। यह मामला अदालत द्वारा दोषी पाये गये राजनैतिक नेताओं द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का है। चुनावों के कानून जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के अनुसार यदि किसी नेता को किसी मुकदमे में दो साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उस पर जेल से छूटने पर छह साल तक की अवधि के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लग जाता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अनुच्छेद की धारा 8 व 9 में यह प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में इन्ही दो धाराओं को चुनौती दी गई थी और प्रार्थना की गई थी कि सजा प्राप्त नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध हो। अपने जवाब में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ देकर कहा कि किस अपराधी को किस जुर्म पर कितनी सजा मिलेगी इसे तय करने का अधिकार केवल संसद को ही है। सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून बनाने के लिए संसद को बाध्य नहीं कर सकता है। यह अधिकार क्षेत्र केवल संसद का है। जाहिर है कि लोकतन्त्र में संसद को ही संविधान कोई भी कानून बनाने का अख्तियार देता है। इस मामले में देश की कोई भी अन्य संवैधानिक संस्था उसे निर्देश नहीं दे सकती। मगर इस मामले में डॉ. मनमोहन सिंह की पिछली यूपीए सरकार ने गलती की थी और अन्ना आन्दोलन के चलते जन लोकपाल विधेयक बनाने में आन्दोलनकारियों की शिरकत कराई थी। संसद के पवित्र अधिकार को लोकतन्त्र में कोई भी दूसरा छीन नहीं सकता है। बेशक सर्वोच्च न्यायालय उसके बनाये गये कानूनों को संविधान की कसौटी पर कस सकता है मगर उसके कानून बनाने के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता। अतः सवाल कार्यपालिका, न्याय पालिका व विधायिका के बीच संविधानगत अधिकार व शक्ति सन्तुलन का है।

संपादकीय

रमजान- क्या मस्जिदों पर भी फूल बरसायेंगे योगी ?

देश के 22 करोड़ मुसलमानों का पवित्र त्यौहार 'रमजान 'रविवार से शुरू हो रहा है। । प्रयागराज में समाप्त हुए महाकुम्भ के बाद का ये एक बड़ा त्यौहार है। अब सवाल ये है कि क्या उत्तर पदेश की सरकार सूबे की मस्जिदों में सरकारी हैलीकाप्टर से नमाजियों पर पुष्पवृष्टि करेगी ? पढ़ने वाले कहेंगे कि -क्या मूर्खतापूर्ण सवाल किया है ? मस्जिदों पर भी कोई फूल बरसता है। वहां तो केवल पुलिस की लाठियां बरसाई जाती हैं। रमजान का महीना महाकुम्भ की तरह हालाँकि पाप धोने का मौक़ा नहीं है लेकिन इस महीने में लोग पूरे एक महीने उपवास कर लोककल्याण के लिए दुआएं करते हैं। पवित्र कुरआन का परायण करते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं और अपनी औकात के हिसाब से जकात [दान] भी देते हैं। एतेकाफ़ करते हैं और माह के अंत में मिलजुलकर ईद मनाते हैं। यानि ये आत्मशोधन और लोककल्याण की उपासना का महीना है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी भी सरकार के पास इस त्यौहार को मनाने की न इच्छाशक्ति है और न खजाने में पैसा है ,न नमाजियों पर फूल बरसाने के लिए कोई हैलीकाप्टर।

आम धारणा है कि रमजान महीने की 23 वीं तारीख शबे कद्र है ,यानि इसी दिन कुरआन का अवतरण हुआ। इसलिए इस महीने में कुरान का पारायण किया जाता है ,जो अनपढ़ हैं वे कुरान सुनते हैं। रमजान के महीने में उपवास को अरबी में सौम और फ़ारसी में रोजा कहा जाता है जाता है। लोग फज्र की नमाज पढ़ते हैं, सेहरी करते हैं। सूर्यास्त के बाद रोजा खोला जाता है यानि इफ्तारी की जाती है। एक जमाना था जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति के यहां भी रोजेदारों के लिए इफ्तार की दावतें होतीं थीं, लेकिन अब सरकार रोजा इफ्तार को पाप और तुष्टिअकरण मानती है इसलिए इस रिवायत को समाप्त कर दिया गया है। मौजूदा सरकार में तो एक भी मुसलमान मंत्री भी नहीं है जो बेचारे रोजदारों को इफ्तार की दावत दे दे।

महाकुम्भ में जैसे सनातनियों के पाप धुल जाते हैं वैसे ही माहे रमजान में रोजदारों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। रोजा इफ्तार के लिए पकवानों की जरूरत नहीं होती,ये श्रृद्धा का मामला है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप रोजेदार को एक खजूर और और एक गिलास पानी देकर भी इफ्तारी करा सकते हैं। ये महीना मुस्तहिक़ लोगों की इमदाद करने का है। इस इमदाद को आप जकात कहें या फ़ित्रा कहें या सदक़ा कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। रोजा मुसलमानों को 'जब्ती नफ़्स ' यानि आत्म नियंत्रण करना सिखाता है।परहेजगारी सिखाता है यानि ये एक तरह की हठ साधना है।

रमजान का आगाज चंद्र दर्शन से होता है और समापन भी चंद्र दर्शन से होता है। ठीक उसी तरह मुसलमान चण्द्रमा की प्रतीक्षा करते हैं जैसे करवा चौथ पर सनातनी विवाहिताएं चन्द्रमा की प्रतीक्षा करती हैं। यानि चाँद सियासित नहीं करता । चाँद दोनों को क्या सभी को दर्शन देता है। चन्दा सबका है। चाँद मियां का भी और चंद्रशेखर का भी। सनातनियों का भी और गैर सनातनियों का भी । आप कह सकते हैं कि काफिरों का भी होता है चाँद। वैसे रमज़ान इस्?लाम कैलेंडर का नौवां महीना होता है।। माना जाता है कि सन् 610 में लेयलत उल-कद्र के मौके पर मुहम्?मद साहब को कुरान शरीफ के बारे में पता चला था। यूं रंजन का मतलब प्रखर होता है।

रोजा हिन्दुओं के अनेक कठिन व्रतों जैसा ही है। हमारे इशाक मियाँ के अब्बू बताया करते थे कि रोज़े का मतलब यह नहीं है कि आप खाएं तो कुछ न, लेकिन खाने के बारे में सोचते रहें. रोजे के दौरान खाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इस्लाम के अनुसार पांच बातें करने पर रोज़ा टूटा हुआ माना जाता है. ये पांच बातें हैं- बदनामी करना, लालच करना, पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बोलना और झूठी कसम खाना। अब्बू कि मुताबिक रोजे का मतलब बस उस अल्लाह के नाम पर भूखे-प्यासे रहना ही नहीं है। इस दौरान आंख, कान और जीभ का भी रोज़ा रखा जाता है। इस बात का मतलब यह है कि न ही तो इस दौरान कुछ बुरा देखें, न बुरा सुनें और न ही बुरा बोलें। रोजे का मुख्य नियम यह है कि रोजा रखने वाला मुसलमान सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के दौरान कुछ भी न खाए। रोजा मन सा वाचा,कर्मणा आत्मनियंत्रण का अवसर है। काम,क्रोध,मोह और लोभ से मुक्ति का संकल्प लेकर रोजा रहा जाता है। मै अ-स्नानी सनातनी हूँ ,लेकिन जब -तब अपने मुस्लिम मित्रों को इफ्तार की छोटी-मोती दावत देकर थोड़ा-बहुत पुण्य हासिल करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कोशिशें ही सामाजिक सद्भाव कि लिए जरूरी हैं। ऐसी कोशिशें सरकारों को भी करना चाहिए, लेकिन सरकारें तो सनातनियों की हैं और उन्हीं के लिए काम करतीं हैं। उनका तुष्टिकरण में नहीं सन्तुष्टिकरण में यकीन बढ़ता जा रहा है। सभी रोजेदारों को बहुत-बहुत मुबारकवाद।

राकेश अचल

प्रगति के पैमानों की अलग-अलग अवधारणाएं

ग्रीन या डिजिटल इंडिया

किसी भी देश के विकास तथा प्रगति के अलग-अलग मापदंड एवं अवधारणाएं हैं द्य भारत 1947 को स्वतंत्रता के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के साथ-साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी उद्योग और आर्थिक योजनाओं के विकास के साथ-साथ कृषि के विकास पर भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देता आया है। परिणामस्वरूप आज 76 वर्ष के बाद भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब भारत के सामने पर्यावरण बचाने, कृषि तथा उद्योगों को बचाने के लिए नई-नई समस्याएं सामने आ रही हैं. अब भारत के सामने विकास के लिए डिजिटल भारत चाहिए या पर्यावरण बचाने के लिए ग्रीन भारत, इस पर भारत में वैज्ञानिकों,चिंतकों और राजनीतिज्ञों के मध्य गहन विचार विमर्श चल रहा है पर भारत के उदारवादी दृष्टिकोण और निजीकरण के युग में विकास की अवधारणा के बारे में जब भी चर्चा होती है तब स्वाभाविक तौर पर विकास के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत परिचर्चा का पदार्पण होता है। विकास प्राप्ति है या साधन है और विकास की संपूर्ण अवधारणा क्या है इस पर एक स्वस्थ बहस की आवश्यकता हैद्य निसंदेह विकास परिवर्तन की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक बदली हुई परिणति ही है, परिवर्तन अथवा विकास के सामने समतामूलक न्याय पूर्ण तथा संपूर्ण समावेशी प्रयासों को मजबूत करने की बात कही गई है और भारत सरकार ने इस पर अपनी आस्था व्यक्त की है , इसी विचार के साथ भारत ने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को मजबूती देने का प्रयास किया है भारत को हरित भारत के लक्ष्य को स्वीकार भी किया है। विभिन्न जीव जंतुओं को बचाना तथा वन के परीक्षेत्र को 33त्न लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में हर संभव प्रयास किए जाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है ।वही दूसरी तरफ मरुस्थल बनने से धरा को रोकने के प्रयास और जैव विविधता को सुरक्षित रखने का लक्ष्य की भारत में प्रगति कर रहा हैद्य जलवायु परिवर्तन से भारत को जितना नुकसान हो रहा है इतना किसी भी अन्य देश को नहीं हो रहा है। इसी कार्यक्रम में प्राकृतिक संसाधनों के वितरण प्रकार और गुणवत्ता को जलवायु परिवर्तन से बचाने का प्रयास भी शामिल है ।भारत में इसी संदर्भ में ग्रीन इंडिया जैसी अवधारणा को आत्मसात किया है ग्रीन इंडिया तथा परिस्थितिकी सुधार को संरक्षण दिया है उसमें केंद्र व राज्य सरकारों ने मिलकर एक दशक के लिए लगभग 40, हजार करोड़ रुपए के खर्च होने का अनुमान भी दर्शाया है। सरल शब्दों में ग्रीन इंडिया मिशन को जलवायु परिवर्तन की अनुकूलता को अंदर से देखा जाए उसमें कारबन में कटौती तथा परिस्थिति तंत्रों में मजबूती लाने का प्रयास किया जाएगा ,इसके अंतर्गत बंजर वाली भूमि पर 50 लाख हेक्टेयर पर पेड़ लगाना और 50 लाख हेक्टेयर जमीन पर बढ़ते हुए वनों का संरक्षण भी शामिल है। जिसके फलस्वरूप 30 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया कराना साथ ही 50 से 60 लाख तन तक कार्बन डाइऑक्साइड में कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया। इस तरह ग्रीन इंडिया में भारी भरकम बजट खर्च करने की परियोजना तैयार की गई है ।निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन में होने वाले नुकसान को इस योजना से रोका जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि डिजिटल इंडिया की बात करें तो ज्ञान के आधारित अर्थव्यवस्था मैं सुधार डिजिटल पद्धति से ही लाया जा सकता है। भारत देश जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक भी दिखाई देता है। डिजिटल विकास के पास भारत देश में दीमक की तरह फैले हुए भ्रष्टाचार को भी रोका जा सकता है। बिचौलियों की उपस्थिति को भी चुनौती दी जा सकती है वैसे डिजिटल इंडिया प्रशासन सब प्रशासन को काफी मददगार साबित होने वाला है। सरकारी कार्यालयों में समस्त कार्य प्रणाली पेपर रहित हो गए है डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ कार्य किए जाए तो समय के साथ अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाई जा सकती है। भारत सरकार ने अनेक विकास के पैमानों को ध्यान में रखते हुए और अनेक विसंगतियों को दूर करने के इरादे से डिजिटल मिशन के तहत ई गवर्नेंस ब्रॉडबैंड हाईवे, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, हॉस्पिटल एप स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप, डिजिटल लॉकर जैसी सुविधाएं शुरू कर चुका है। आज सारी कार्य करा लिया मोबाइल ऐप तथा कंप्यूटर इंटरनेट से पूरी की जा रही है वहीं दूसरी तरफ उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी कार्यसूची में पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों में भी साबित हो चुका है जिसमें विश्व के शीर्ष नेतृत्व करने वाले देश पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में सकारात्मक प्रयासों की तरफ अग्रसर हैं। स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण मनुष्य की मूल आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य बिना हवा, स्वच्छ पानी या स्वच्छ पर्यावरण के जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे में विकास के ग्रीन इंडिया तथा डिजिटल इंडिया के दोनों पैमानों पर सतत विकास कर भारत को आगे बढ़ना होगा।

संजीव ठाकुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

मण्डलायुक्त, एसपी व सीडीओ ने तहसील गोण्डा सदर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की सुनी समस्याए

सम्पूर्ण समाधान दिवस में आये हुये शिकायती पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय से करें निस्तारित अधिकारी-सीडीओ

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो गोण्डा । शासन की मंशानुरूप जनसामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से आज जनपद के समस्त तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें तहसील गोण्डा सदर में मण्डलायुक्त, एसपी व सीडीओ ने आये हुये फरियादियों की समस्याओं को सुना तथा शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया गया। जनसुनवाई के दौरान तहसील गोण्डा सदर में कुल 122 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें 06 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है शेष को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुये आख्या तहसील में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान गोण्डा सदर में सीडीओ ने निर्देश दिए हैं कि समाधान दिवस में प्राप्त होने वाले शिकायतों के निस्तारण हेतु टीम गठित किया जाय, तथा टीम के द्वारा शिकायत का मौके पर स्थलीय जांचकर गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाय। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण के मामले में संयुक्त रूप से राजस्व एवं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर जाकर निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि तालाब जमीन की पैमाइश, अवैध कब्जा, चकरोड, नाली, अवैध अतिक्रमण आदि को पुलिस फोर्स के साथ हटवाने का कार्य करें। शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाएं। उसके आने पर लिखित रूप से उल्लेख करें और निस्तारण के प्रकरण का फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण मौके पर जाकर पूरी गुणवत्ता के साथ करें अन्यथा संबंधित विभाग के अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण समाधान दिवस के अंत में मुख्य विकास अधिकारी ने वहां पर उपस्थित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, उपजिलाधिकारी गोण्डा सदर अशोक कुमार गुप्ता, पुलिस क्षेत्राधिकारी गोण्डा सिटी आनंद राय, सदर शिल्पा वर्मा, तहसीलदार गोण्डा मनीष कुमार, नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार, रंजन वर्मा, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार, जिला प्रोवेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, लघु सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, एसएचओ कोतवाली नगर, देहात, इटियाथोक, कौड़िया बाजार तथा धानेपुर सहित अन्य सभी जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बिसवां में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 166 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे

स्वतंत्र प्रभात

बिसवां(सीतापुर)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन दशहरा मेला मैदान बिसवां में आयोजित हुआ। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा रहे। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को मंगलमय जीवन की शुभकामनाए दी। समारोह में सीतापुर जिले की विभिन्न नगर पालिकाओं और ब्लाकों से कुल 166 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बिसवां ब्लाक से 51 जोड़ें,सकरन ब्लाक से 47,खैराबाद ब्लाक से 34,लहरपुर नगर से 6,बिसवां नगर से 3,सीतापुर नगर से 7,महमूदाबाद नगर से 12 और पैंतेपुर नगर पंचायत से 4 जोड़े इस सामूहिक विवाह समारोह का हिस्सा बने। एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में विवाह संपन्न होना एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है।समारोह में ग्राम पंचायत अधिकारी,नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे,जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि बिसवां विधायक निर्मल वर्मा ने कहा ऐसे आयोजन न केवल दांपत्य जीवन की शुरुआत के लिए एक अवसर है। बल्कि ऐसे आयोजनों से समाज में समरसता और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब समाज एकजुट होकर कार्य करता है तो प्रत्येक कठिनाइयों को आसानी से पीछे छोड़ देता है। इस प्रकार के समारोहों से सामाजिक सौहार्द बढ़ता है और नई पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है,जो न केवल दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों और दो समुदायों का मिलन भी होता है। श्री वर्मा ने आगे कहा कि भाजपा सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ही नही देती बल्कि उसे धरातल पर उतारने का काम करती है। जो आज इस समारोह में देखने को मिल रहा है। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी सुमित सिंह, सकरन व खैराबाद के खंड विकास अधिकारी,अधिशाषी अधिकारी बिसवां नीलम चौधरी,आशीष यादव,सौरभ शुक्ला,जेई समरा सईद,आशीष सिंह, महेन्द्र सिंह आदि के साथ सैकड़ो की संख्या में लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त ख़बरें

बोर्ड परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे 2 नकलची गिरफ्तार

देवरिया। जनपद के थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत श्री बलदेव स्वामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरौना में प्रथम पाली के हाई स्कूल गणित परीक्षा कक्ष संख्या 4 में संचालित हो रही थी जिसमें जांच के दौरान 2 छात्रों के स्थान पर अवनीश यादव पुत्र परिखन यादव निवासी रानीघाट तथा दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर एक नाबालिग को अवैध रुप से परीक्षा कक्ष से परीक्षा देते हुए कुटरचित आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। केन्द्र व्यवस्थापक श्री बलदेव स्वामी उ0म0 विद्यालय बैरौना देवरिया के तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है।

श्रीमद् भागवत कथा में सती और ध्रुव प्रसंग का वर्णन सुन भाव भाव विहोर हुए श्रोता

सिद्धार्थनगर। भनवापुर क्षेत्र के गालापुर ग्राम पंचायत में शुक्रवार की रात श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन अवध धाम से पधारे स्वामी उत्तम कृष्ण शास्त्री ने सती चरित्र ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई कथा सुन दर्शन भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान आचार्य

उत्तम कृष्ण शास्त्री ने बताया कि भगवान विष्णु ने पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया। इनके पिता का नाम महर्षि कर्दम व माता का नाम देवहूति था। शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ भगवान श्री कपिल मुनि जी भी वहां उपस्थित थे। भगवान कपिल मुनि जी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। श्री गुरू भगवान कपिल महामुनि जी भागवत धर्म के प्रमुख बारह आचार्यों में से एक हैं। उन्होंने बताया कि भगवान शिव की अनुमति लिए बिना उमा अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भाग लेने पहुंच गईं। यज्ञ में भगवान शिव का आमंत्रण और उनका भाग न दिए जाने पर कुपित होकर सती ने यज्ञ कुंड में आहुति देकर शरीर त्याग दिया। इस दौरान अनिरुद्ध शास्त्री इंद्रजीत शास्त्री शिव शंकर पांडे कमलेश पांडे दोस्त शास्त्री अंबरीश हरिशंकर बृजेंद्र उमाशंकर पांडे दुर्गेश बृजेश आदि मौजूद रहे।

15 मार्च से चलेगा ऑपरेशन कब्जा मुक्ति

देवरिया। जिले में सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि और ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने समस्त प्रकार की सार्वजनिक भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए कमर कस ली है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देशन में 15 मार्च से सार्वजनिक भूमि को कब्जामुक्त कराने के लिए ऑपरेशन कब्जा मुक्ति अभियान चलेगा। अभियान के अंतर्गत कुल 800 चिन्हित सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि एवं ग्राम समाज की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशानुरूप इस विशेष अभियान की कार्ययोजना बनायी गई है। अभियान के प्रथम चरण में व्यापक जनसुविधा के दृष्टिगत सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि रास्ता, चकरोड, खेल का मैदान, चारागाह, पोखरी, खाद का गड्ढा आदि से अतिक्रमण हटाया जाएगा। द्वितीय चरण में ग्राम समाज की भूमि जैसे नवीन परती, बंजर पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व अतिक्रमणी को तहसील प्रशासन द्वारा डुग्गी-मुनादी एवं नोटिस आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमणकारियों को चेताया भी कि वे स्वयं अपने अवैध कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। भाटपाररानी में सर्वाधिक 226, सलेमपुर में 202 रुद्रपुर में 116, बरहज में 105 तथा देवरिया सदर तहसील में 151 प्रकरण चिन्हित किये गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जनपदवासियों से अनुरोध किया है कि वे प्रशासन के इस प्रयास में सहयोग करें और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।

दहेज हत्या प्रकरण में 3 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

देवरिया। जनपद की खुखूंदू पुलिस ने दहेज हत्या प्रकरण में 3 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया है। वादी विनोद चौरसिया की तहरीर पर 23.11.2024 को थाना खुखुन्दू में मु0अ0सं0- 356/24

धारा- 85,80 बी0एन0एस0 एवं ङ डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज था और क्षेत्राधिकारी सलेमपुर दीपक कुमार शुक्ल द्वारा विवेचना की जा रही है। थाना खुखुन्दू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर असना मोड़ के पास से आरोपी सुरज पुत्र रामईश्वर, विमला देवी पत्नी रामईश्वर व रामईश्वर पुत्र रामराज चौरसिया निवासीगण ग्राम सिसई को गिरफ्तार कर लिया है।

सौ वर्ष की महिला में कूल्हे का सफल प्रत्यरोपण ऑपरेशन

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज। केंद्रीय चिकित्सालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में 100 वर्षीय समय राजकुमारी कलिंदीपुरम राजरूपपुर प्रयागराज निवासी कासफल कूल्हा प्रत्यारोपण किया गया। ज्ञात हो कि, श्रीमती राजकुमारी का एक दुर्घटना में बाये कुल्हे में फ्रैक्चर हो गया था । उनकी इस समस्या के समाधान के क्रम में केंद्रीय चिकित्सालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में ऑपरेशन कर कूल्हे का सफल प्रत्यरोपण दिनांक 27-02-2025 को किया गया। यह ऑपरेशन डॉ. एस एस नायक , वरिष्ठ सर्जन द्वारा किया गया, जो भारतीय रेलवे के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित सर्जन हैं। इस ऑपरेशन की सफलता से श्रीमती समय राजकुमारी के परिवार को बहुत राहत मिली है। डॉ. एस एस नायक और उनकी टीम को इस सफल ऑपरेशन के लिए चिकित्सा निदेशक डॉ संजीव कुमार हन्डू ने बधाई दी ढ्ढ इस ऑपरेशन में वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ अलोक यादव, डॉ अशरा , और मंजू देवी सोनकर मुख्य नर्सिंग अधीक्षक , नर्सिंग अधीक्षक प्रीती , नर्सिंग अधीक्षक हरीश कुमार शर्मा,ड्रेसर अमित , हॉस्पिटल असिस्टेंट रेखा सिंह, मूल चन्द , राजेंद्र कुमार तिवारी व रोमेश कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रधानमंत्री आवास बना भी नहीं... कागज में दिखा दिया तैयार, बिना निर्माण ही पूरी राशि का हुआ भुगतान

स्वतंत्र प्रभात

बलरामपुर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और अधूरी योजना को पूरा दिखाकर योजना से संबंधित रिकॉर्ड को बंद कर दिया है। जबकि जमीन पर योजना अभी भी अधूरी है। बलरामपुर जिले के पचपेड़वा विकासखण्ड में यह मामले सामने आए हैं। यहां योजना के आंकड़े में लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास शत-प्रतिशत पूर्ण है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बरती गई अनियमितता

पचपेड़वा विकासखण्ड के ग्रामपंचायत भाथर में तीन आवास ऐसे है जिसका बुनियाद तक नही भरा गया इनको वित्तीय वर्ष 2020-21 मे प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास दिया गया था प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़े में लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास शत-प्रतिशत पूर्ण है, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।पचपेड़वा विकास ग्राम पंचायत भाथर में कई लाभुकों ने महज बुनियाद तक नही भरा गया है कुछ आवास निर्माण कार्य आज भी अधूरा छोड़ दिया गया है। बावजूद उनको पूरी राशि देकर आवास निर्माण योजना को पूर्ण घोषित कर दिया है। ऐसा मामला विकास खंड में एक नहीं, बल्कि अनगिनत है।

क्या है राशि भुगतान का नियम

नियम कहता है कि किसी भी लाभुक को प्रथम किश्त की राशि 40 हजार रुपये देने के बाद द्वितीय किश्त की राशि के लिए पंचायत सचिव व रोजगार सेवकों द्वारा जीपीएस कैमरा से लिंटल लेबल आवास योजना का फोटो खींचने के बाद 85 हजार की दूसरी किश्त की राशि भेजी जाती है। जिसकी निगरानी विकास खंड में तैनात सचिव को क्षेत्र भ्रमण कर करना होता है, परंतु पचपेड़वा विकासखण्ड में महज अधूरे आवास निर्माण कार्य नहीं किया गया है और लाभुक को पूरी राशि का भुगतान कर योजना को पूर्ण बताया गया है। पचपेड़वा विकासखण्ड के

भाथर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे भी लाभुक हैं। जिनको पीएम आवास योजना मिला था, पर लाभुकों ने पीएम आवास की नींव भी नहीं रखी है और ना ही आवास बनाया है। इसके बावजूद उस लाभुक को पीएम आवास योजना की पूरी राशि भेज कर आवास पूर्ण बताया गया।

बीडीओ ने क्या कहा- मामले में पचपेड़वा खण्ड विकास अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण में गड़बड़ी को लेकर आवास योजना से जुड़े सभी कर्मियों से पूछताछ कर योजना स्थल का निरीक्षण करते हुए दोषी कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी।

पंच कैलाशी शिव साधिका साधना दीदी द्वारा आयोजित किया गया विशाल भंडारा

स्वतंत्र प्रभात

बिसवा सीतापुर। हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी पंच कैलाशी शिव साधिका साधना बाजपेयी दीदी द्वारा महाशिवरात्रि पावन पर्व के उपलक्ष्य में भोले नाथ शिव के रुद्राभिषेक व विशाल भंडारे का आयोजन अपने निज निवास वार्ड कैथी टोला बिसवा आवास पर किया गया। पंच कैलाशी शिव साधिका साधना दीदी ने प्रभु शिव जी का जलाभिषेक,चंदन,
अक्षत,फूल,माला,दूध,दही, शहद,अबीर - गुलाल,मेवा,मिष्ठान, वस्त्र आदि से विधिवत मंत्रोंचार के साथ रूद्राभिषेक किया। विशाल भंडारे का शुभारंभ कन्याओं एवम ब्राहमनों को भोजन कराकर, दान दक्षिणा भेंट कर किया।

पंच कैलाशी साधना दीदी ने भंडारे में विभिन्न जनपदों से पधारे शिव भक्तों को प्रसाद देकर आशीर्वाद प्रदान किया। विशाल भंडारे के सफल आयोजन में अरुण मिश्रा, उषा किरण मिश्रा, डॉ. नलिन मिश्रा, श्रीमती शशि मिश्रा, रमाकांत मिश्रा, बेबी मिश्रा, अजय बाजपेयी, गीता बाजपेयी, संजय बाजपेयी, अक्षय कौशल बाजपेयी, सविता बाजपेयी, अश्वनी छोटू बाजपेयी, संध्या बाजपेयी, रिचा मिश्रा, हेमा मिश्रा, यति शिप्रा मिश्रा, प्रिया बाजपेयी, अंकित मिश्रा, मांशी बाजपेयी, सूरज बाजपेयी, शिवांश बाजपेयी, नव्या बाजपेयी आदि का विशेष योगदान रहा।

समाज सुधारक संत गोडगे का मनाया गया जयंती

स्वतंत्र प्रभात

मनकापुर (गोंडा)। युवा रजक संघ गोण्डा के तत्वाधान में राजेश चौधरी उर्फ गुड्डू कनौजिया की अध्यक्षता में 19वीं सदी के महान समाज सुधारक संत गाडगे जी महाराज की 149वीं जयंती गुरु कृपा मैरिज हॉल भोपतपुर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने संत गाडगे जी द्वारा किए गये कार्यों पर चर्चा करते हुए उनकी विचारधारा को आम जनमानस तक पहुंचाने का संकल्प लिया ।जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक गौरा प्रभात वर्मा ने कहा कि संत गाडगे जी मानवता के सच्चे हितैषी एवं सामाजिक समानता के द्योतक थे। संत गाडगे जी ने अपने जीवन, विचार एवं कार्यों के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र के सम्मुख अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। संत गाडगे ने अपने जीवन काल में लगभग 60 संस्थाओं स्कूल, धर्मशाला, गौशाला, छात्रावास, अस्पताल, विश्रामालय, वृद्ध आश्रम आदि का निर्माण कराया।अपने सम्बोधन के दौरान उन्होंने विधानसभा गौरा में सन्त गाडगे महाराज के नाम से अतिशीघ्र एक तोरण द्वार बनवाने व लोगों की मांग पर उचित स्थान पर भव्य मूर्ति स्थापित करने का आश्वासन दिया।विशिष्ठ अतिथि मोती लाल कन्नौजिया ने कहा कि गाडगे बाबा आजीवन सामाजिक अन्यायों के खिलाफ संघर्षरत रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत कोल्हुईया भोजपुर विकास- खण्ड गैसड़ी जनपद- बलरामपुर

निविदा/ टेंडर/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत कोल्हुईया भोजपुर में सी0 सी0 रोड, R.C.C पुलिया निर्माण पशु शेड, निर्माण हेतु इच्छुक निविदा कोटेशन पंजीकृत टैक्स प्रदाता फर्म आमन्त्रित की जाती है। जो दिनांक-03-03-2025 से - 09-03-2025 तक निविदा पत्र प्राप्त एवं जमा की जा सकती है निविदा कोटेशन दिनांक-10-03-2025 को ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रधान सचिव निर्माण कार्य समिति की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा कोटेशन स्वीकृत / अस्वीकृत का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। क्रय की जाने वाली सामग्री जैसे - प्रथम श्रेणी ईट, ईट गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, बालू,लाल मोरंग, सरिया सीमेंट, पतरा, पाइप, हुक आदि से संबन्धित सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार पृथक होगी। निविदा कोटेशन वित्तीय वर्ष-2024-25 में कराये जाने वाले कार्य प्रभावी रहेंगी।

ग्राम प्रधान
घनश्याम जायसवाल
ग्राम- पंचायत कोल्हुईया भोजपुर
विकास-खंड - गैसडी -
बलरामपुर

ग्राम पं0 अधिकारी
अमित वर्मा
ग्राम-पंचायत कोल्हुईया
भोजपुर
वि0 ख0-गैसड़ी - बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत गोविन्दपुर विकास- खण्ड गैसड़ी जनपद- बलरामपुर

निविदा/ टेंडर/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत गोविन्दपुर में सी0 सी0 रोड, R.C.C पुलिया निर्माण पशु शेड, निर्माण हेतु इच्छुक निविदा कोटेशन पंजीकृत टैक्स प्रदाता फर्म आमन्त्रित की जाती है। जो दिनांक-03-03-2025 से - 09-03-2025 तक निविदा पत्र प्राप्त एवं जमा की जा सकती है निविदा कोटेशन दिनांक-10-03-2025 को ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रधान सचिव निर्माण कार्य समिति की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा कोटेशन स्वीकृत / अस्वीकृत का अधिकार ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित होगा। क्रय की जाने वाली सामग्री जैसे - प्रथम श्रेणी ईट, ईट गिट्टी, पत्थर, मिट्टी, बालू,लाल मोरंग, सरिया सीमेंट, पतरा, पाइप, हुक आदि से संबन्धित सामग्री की मात्रा ग्राम पंचायत में स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार पृथक होगी। निविदा कोटेशन वित्तीय वर्ष-2024-25 में कराये जाने वाले कार्य प्रभावी रहेंगी।

ग्राम प्रधान
अख्तर कादरी
ग्राम- पंचायत गोविन्दपुर
विकास-खंड- गैसडी -
बलरामपुर

ग्राम पं0 अधिकारी
अमित वर्मा
ग्राम- पंचायत गोविन्दपुर
वि0 ख0-गैसड़ी -
बलरामपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत पहरूपुर, विकास खण्ड-दरियाबाद, बाराबंकी

पत्रांक मेमो / मनरेगा/ग्रा0पं0-पहरूपुर /सामग्री-आपूर्ति/निविदा-प्रकाश/दरि0/2024-25 15/02/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

विकास खण्ड दरियाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पहरूपुर बाराबंकी में मनरेगा योजनान्तर्गत जनहित मे निम्नलिखित कार्य कराया जाना है जिसके लिए संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीकृत फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकृत दरो के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सामान आपूर्ति की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय से दिनांक 15/2/2025 से 27/02/2025 तक किसी भी कार्यदिवस मे निर्धारित धनराशि जमा करके प्राप्त किये जा सकते है। मोहरबन्द निविदायें दिनांक 28/2/2025 को प्रातः 10 से 02 बजे अपरान्ह तक निविदा बाक्स मे डाली जायेगी तथा दिनांक 28/2/2025 को ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालय / पंचायत भवन में उपस्थित निविदाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत की निविदा समिति के द्वारा समय 3:00 बजे खोली जायेगी।

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	सामग्री की जीएसटी सहित लागत (रू0 लाख मे)	आपूर्ति ली जाने सामग्री का विवरण	धरोहर राशि (रू0 मे)	निविदा मूल्य	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पहरूपुर	हरीलाल के घर से सुन्दरलाल मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य ID3148012046/FP/958486255823572847	284x3.30	9,99,032	बालू, मौरंग, सीमेन्ट, गिटटी,इण्टरलॉकग ईट, ईट, सरिया इत्यादि	2 प्रतिशत	500 रूपये	03 माह

1. धरोहर राशि का राष्ट्रीकृत बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण जो पंचायत पहरूपुर विकास खण्ड दरियाबाद के नाम बन्धक करते हुए निविदि फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार उपरोक्त वर्णित सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित सचिव / प्रधान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता के द्वारा बताये गये निर्दिष्ट समय स्थान पर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
3. आपूर्ति की गयी सामग्री का मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, विलम्ब आदि के लिए कार्यादायी संस्था उत्तरदायी नही होगी।
4. जी0एस0टी0 पंजीकृत बिल ही मान्य होगा।
5. विभिन्न प्रकार के शासकीय करों के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
6. आपूर्ति की गयी समाग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप करने के उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता होगा।
7. आपूर्ति की गयी सामग्री के भाडा/किराये का अलग से भुगतान देय नही होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर पंचायत पहरूपुर मे उपरोक्तानुसार/प्राक्कलित/स्वीकृत सामग्री सम्बन्धित सचिव/प्रधान/तकनीकी सहायक / अभियन्ता के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्दिष्ट समय/स्थान पर सामग्री आपूर्ति करने पर विफल रहने पर धरोहर जब्त करने का ग्राम पंचायत का होगा।
9. सामग्री आपूर्ति का बिना कराण बताये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार सचिव/प्रधान/निविदा समिति पहरूपुर में निहित होगा।

तकनीकी सहायक
ग्रा0पं0-पहरूपुर
दरियाबाद, बाराबंकी

सचिव
ग्रा0पं0-पहरूपुर
दरियाबाद, बाराबंकी

रीता देवी
प्रधान
ग्रा0पं0-पहरूपुर
दरियाबाद, बाराबंकी।

संक्षिप्त ख़बरें

विधायक श्याम प्रकाश ने चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं , मडिया घाट पुल का निरीक्षण किया

पिहानी/हरदोई। विधायक श्याम प्रकाश ने गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण कर रसूलपुर में एक जनसभा को संबोधित कर जनसमस्याओं को सुना और जनता की समस्याओं का निस्तारण कराने का आस्वाशन दिया। बताते चलें विधायक श्याम प्रकाश के अथक प्रयास,परिश्रम और मेहनत से गोमती नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।गोमती नदी पर पुल बनने से सैकड़ों गांवों रसूलपुर, सहादत नगर, चठिया,पंडरबा किला, दंमगढा राभा, दहेलिया आदि गांव के लोगों को आवागमन में अब कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा।लखीमपुर जिले की सीमा में स्थित प्राचीन बाबा पारस नाथ मंदिर के दर्शन व मैगलगंज कस्बे को जाने वाले सैकड़ों लोगों को जहानीखेड़ा से होकर 20 किमी से भी ज्यादा लम्बा रास्ता तय करना पड़ रहा था।साथ में भारी भरकम 200 रुपये का टोलटैक्स भी अदा करना पड़ रहा था।जिससे क्षेत्र की जनता काफी परेशान थी। पुल बन जाने से लोगों को कुछ समय बाद काफी लम्बा चक्कर काटकर मैगलगंज, पारस नाथ मंदिर को पहुँचने में निजात मिल सकेगी।जनसभा में विधायक श्याम प्रकाश ने कहा हमारा यही प्रयास रहता है।कि मेरी विधानसभा में अधिक से अधिक विकास कार्य हों।और इस क्षेत्र की जनता से हमारा घर जैसा नाता है।जनता ने भी इस पुल निर्माण का श्रेय विधायक श्याम प्रकाश को दिया।और विधायक का धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया।निरीक्षण के दौरान पीडब्लूडी ,और सेतु निगम के अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि धर्मेश मिश्रा, गोपामऊ चेयरमैन बली मोहम्मद, पूर्व जिलापंचायत सदस्य दिलीप मिश्रा, अमित त्रिवेदी, विपुल शुक्ला, राहुल मिश्र,गोपाल मिश्रा,सिल्हु शुक्ला, सोनू सिंह बखरिया, ओमवीर यादव,प्रधान रसुलपुर रामसरन सिंह, आदि लोग मौजूद रहे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वृक्षारोपण व नगर वन कामीपुर का किया औचक निरीक्षण

कछौना, हरदोई। वन रेंज कछौना के अंतर्गत शुक्रवार को नगर वन कामीपुर व हथौड़ा, ऊगपुर, नगवा में कराए गए वृक्षारोपण की जमीनी हकीकत को जानने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले के प्रभागीय वन अधिकारी (डी0 एफ0 ओ0/डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) सहित वन क्षेत्राधिकारी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन विभाग को सख्त दिशा निर्देश दिए। बतातें चलें हमारी जीवनशैली पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जंगल हैं, लेकिन शहरी बस्तियों में जनसंख्या के अनुपात में वृक्षो/जंगलों उतनी ही कमी हैं। जिसके कारण प्रकृति ने ऐसे संकेत भेजे हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसी लिये भारत सरकार ने योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वन वाटिका व शहरों में नगर वनों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया गया। नगर वन शहरी वन विकसित करने की महत्वपूर्ण योजना है। जिससे शहर वासियों को शहरी वानिकी के कई लाभ हैं, वाणिज्यिक से लेकर पारिस्थितिक लाभों में शहरी क्षेत्रों में तापमान वृद्धि को कम करना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना व अन्य वायु प्रदूषकों को हटाना, मिट्टी के कटाव को रोकना, भूजल पुनर्भरण और मिट्टी को स्थिर करना शामिल है। शहरों में हरियाली बढ़ाने से समुदाय के स्वस्थ रहने हेतु हवा से प्रदूषक और ग्रीनहाउस गैसों को कम करके, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कम करते हैं। पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये मनोरंजन के लिए जगह मुहैया कराते हैं, यह मनुष्य व सभी जीवों के लिए फ़ायदेमंद होते। वहीं वन आश्रय, आजीविका, जल, भोजन और ईंधन की सुरक्षा प्रदान करने के साथ सभी गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन शामिल हैं। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और डिटर्जेंट जैसे रोजमर्रा के उत्पादों में इस्तेमाल होने से बड़ी संख्या में उप-उत्पाद भी जंगलों से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में कुछ वर्ष पहले नगर वन कामीपुर का निर्माण किया गया, परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। जिससे नगर वासियों सहित ग्रामीण भी इसके लाभ से वंचित है। इसी के चलते शुक्रवार को वन रेंज कछौना क्षेत्र के अंतर्गत नगर वन कामीपुर व हथौड़ा, ऊगपुर, नगवा में किए गए वृक्षारोपण की जमीनी हकीकत जानने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिले के प्रभागीय वन अधिकारी (डी0एफ0ओ0/डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर) सहित वन क्षेत्राधिकारी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने वन बारीकी से निरीक्षण किया। इसी बीच प्रभागीय वन अधिकारी हरदोई को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पौधारोपण करने के साथ-साथ उनका संरक्षण करना अनिवार्य है।

शिवनगर शिव मन्दिर में आम सभा सम्पन्न , नाथ योगी छात्र संघ के शिवनगर आंचलिक समिति गठन

स्वतंत्र प्रभात

धेमाजी असम। आज सिलापथार थाने अंतर्गत शिवनगर शिव मन्दिर आंगन में एक सभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता धीरेंद्र नाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाथ योगी समुधाय के राजनीतिक स्थिति पर नाथ योगी विकास परिषद के धेमाजी जिला सदस्य संजय नाथ ने चर्चा के बाद भीमू एवं असम समझते की 6 नंबर अनुच्छेद के बारे में नाथ योगी छात्र संघ के केन्द्रीय चसीव दीपक नाथ ने चर्चा किया। सभा में रंजन नाथ को अध्यक्ष, बिस्वजीत नाथ, पंकज नाथ को उपाधक्य, जयंत नाथ को सचिव, नंदलाल नाथ चौधारी, पंकज नाथ को सह सचिव, बिक्रम नाथ को शिक्षा सचिव, सुब्रत नाथ को संघठन सचिव, सुजीत नाथ को प्रचार सचिव, शोषांग्खा नाथ को वित्त सचिव, सुमंत नाथ को सांस्कृतिक सचिव के रुप में लेकर 31 सदस्य वाले शिवनगर आंचालिक समिति सभा में नाथ योगी छात्र संघ के धेमाजी जिला के चसीव सजल देव नाथ ने संघठन के संविधान के बारे में नई समिति को अवगत कराया एवं जिला उपाधक्या योगी सुबेश नाथ ने संविधान के शपत पाठ कराया। एवं कोई कार्यकारी प्रस्ताव ग्रहण किया। सभा में नाथ योगी धेमाजी जिला समिति के मनोज नाथ, जितेन नाथ कार्यकर्ताओ सहीत इलाके की भारी संख्या में सभा में उपस्थित थे।

*संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम - एसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं , 55 मामलों में से चार का हुआ निस्तारण

स्वतंत्र प्रभात

सिद्धार्थनगर। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस पर शनिवार को तहसील इटवा में जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन की उपस्थिति में तहसील समाधान दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तहसील इटवा में आयोजित सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति एवं अन्य विभागों के शिकायतों की सुनवाई जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0, उपजिलाधिकारी इटवा कुणाल तथा पुलिस विभाग से सम्बंधित शिकायतों की सुनवाई पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन द्वारा किया गया। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 द्वारा तहसील समाधान दिवस में पिछले समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के आख्या का अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा तत्काल जिला स्तरीय टीम बनाकर मौके का जांच कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि से संबधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण कराये। जिलाधिकारी ने सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस इटवा में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्यवाही किया जाये। जिलाधिकारी ने कानूनगो एवं लेखपालों को निर्देश दिया कि भूमि संपत्ति रजिस्टर एवं भूमि विवाद रजिस्टर अवश्य बना ले। किसी भी विभाग का तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लम्बित पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। लेखपाल एवं कानूनगो मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लगायेगे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। जिलाधिकरी ने निर्देश देते हुए कहा कि तहसील दिवस में जो भी शिकायते प्राप्त हो रही उन शिकायतों का गम्भीरतापूर्वक पर मौके पर जाकर निस्तारण कराये। इसमें किसी भी प्रकार की शिकायत नही मिलना चाहिए। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर कुल 55 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें राजस्व-22, पुलिस विभाग से सम्बन्धित-09, विकास-06, विद्युत-08, अन्य-10 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 द्वारा राजस्व-04, प्रार्थना-पत्र का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। तहसील दिवस में प्राप्त शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को तीन दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर डी.एफ.ओ. पुष्प कुमार के, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रजत कुमार चौरसिया, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग इटवा आशीष भारद्वाज, जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जीवन लाल, उप कृषि निदेशक अरविन्द कुमार विश्वकर्मा, जिला कृषि अधिकारी मो0मुजम्मिल, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह, तहसीलदार इटवा, तहसील इटवा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त थानाध्यक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी, सीडीपीओ तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन की नाकामी पर भड़की किसान यूनियन चेतावनी के बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं

स्वतंत्र प्रभात

पीलीभीत। भारतीय किसान यूनियन (भानु) ने जिला प्रशासन की निष्क्रियता पर तीखा हमला बोला है। संगठन ने कहा है कि पहले भी कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन प्रशासन कानों में तेल डालकर बैठा है। किसानों की समस्याओं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिससे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यदि प्रशासन ने जल्द ही समाधान नहीं किया, तो यूनियन सड़क पर उतरकर आर-पार की लड़ाई लड़ेगी।पीलीभीत में नकली और मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री धड़ल्ले से जारी है। फूड इंस्पेक्टरों और दुकानदारों की मिलीभगत से ज़हरीले खाद्य पदार्थ बाजार में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। कई बार शिकायतें दर्ज कराई गईं, लेकिन हर बार फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है? जिले में अवैध मिट्टी खनन अपने चरम पर है। खनन माफिया प्रशासन की नाक के नीचे अपना कारोबार चला रहे हैं, और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। कई क्षेत्रों में ज़मीन का सीना छलनी कर खनन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। जब भी शिकायत की जाती है, तो अधिकारियों की ओर से महज दिखावे की कार्रवाई कर दी जाती है। सवाल उठता है कि आखिर इस अवैध कारोबार को संरक्षण कौन दे रहा है? जिला आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि कोटेदार बेखौफ होकर गरीबों के हिस्से का राशन हड़प रहे हैं। राशन वितरण में धांधली की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। कोटेदारों की मनमानी और घटतौली से गरीब जनता त्रस्त है। सरकार की योजनाएं फाइलों में चल रही हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका कोई असर नहीं दिखता।ग्राम बकैनिया दीक्षित का मजरा मनपुरा आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। न वहां श्मशान घाट है, न अस्पताल, न राशन की दुकान और न ही स्कूल। सरकार 'सबका विकास' का नारा देती है, लेकिन इस गांव के लोगों के लिए यह नारा सिर्फ एक धोखा साबित हुआ है। गरीब किसान-मजदूर रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं।

पीलीभीत के थानों में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि अब पीड़ितों को न्याय मिलना सपना बन चुका है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में हीलाहवाली करती है, जबकि फर्जी मुकदमे दर्ज कर निर्दोषों को फंसाने का खेल बेरोकटोक जारी है। जिनकी जेबें भरी जाती हैं, उनकी सुनवाई होती है और बाकी लोगों को टरका दिया जाता है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से कानून-व्यवस्था सवालों के घेरे में है। मनरेगा योजना गरीबों को रोज़गार देने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहां भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार लिए हैं। प्रधान, रोजगार सेवक और सचिव फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन का गबन कर रहे हैं। गरीबों को उनके हिस्से की मजदूरी नहीं मिल रही, लेकिन प्रशासन के कानों तक यह आवाज नहीं पहुंच रही। गरीबों का हक लूटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कब होगी? आवारा पशुओं और जंगली जानवरों की समस्या से किसान पहले ही परेशान हैं, लेकिन अब उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। खेतों में घुसकर ये जानवर फसलें उजाड़ रहे हैं, लेकिन न तो प्रशासन इन्हें गौशालाओं में भेज रहा है और न ही किसानों को मुआवजा मिल रहा है। जब किसान अपनी फसल बचाने के लिए कदम उठाते हैं, तो उन्हीं पर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। आखिर किसानों के साथ यह अन्याय कब तक चलेगा? पीलीभीत की कई चीनी मिलों पर किसानों का बकाया भुगतान अटका हुआ है। किसान दिन-रात मेहनत कर गन्ना उगाते हैं, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है, तो चीनी मिलें बहानेबाजी शुरू कर देती हैं। किसानों का गुस्सा अब फूटने लगा है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि मिलों को ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश दिए जाएं। बीसलपुर रोड पर बनी मोदी फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं और राख किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहा है। जहरीले धुएं से आसपास के गांवों में लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रशासन को बार-बार इसकी शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। फैक्ट्री में घटिया सामग्री से रिफाइंड बनाया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत खतरे में पड़ रही है। आखिर प्रशासन इस जहरीले कारोबार पर कब लगाम लगाएगा? गन्ना लदी ट्रॉलियों और डग्गामार वाहनों की ओवरलोडिंग का खेल बदस्तूर जारी है। एआरटीओ की मिलीभगत से ये वाहन सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? भारतीय किसान यूनियन (भानु) के ज़िला अध्यक्ष भजनलाल क्रोधी और प्रदेश संगठन मंत्री रमेश चंद्र दद्दा ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो संगठन सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगा। जिला अध्यक्ष भजन लाल क्रोधी ने कहा, ÷अब किसानों को गुमराह नहीं किया जा सकता। प्रशासन अगर कान में रुई डालकर बैठा है, तो हम उसे झकझोरने के लिए तैयार हैं। अब या तो समस्याओं का समाधान होगा, या फिर सड़कों पर जोरदार आंदोलन देखने को मिलेगा। क्या प्रशासन जागेगा या फिर किसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने पर मजबूर होंगे? अब यह देखना बाकी है।

असम श्रीभूमि जिले के सोनबिल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा

कार्यक्रम को लेकर तैयारियाँ जोर-शोर पर क्षेत्र में आनंद उल्लास का माहौल।

स्वतंत्र प्रभात

असम श्रीभूमि (करीमगंज)। वर्तमान आधुनिकता के युग में बच्चों और युवाओं को-उन्मुख बनाने के लिए, 2 मार्च (रविवार) को आनंदपुर चौदह मादल मेला मैदान में सोनबिल के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के प्रबंधन में पतंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी सोनबिल क्षेत्र में पतंग महोत्सव किया जाएगा इस कार्यक्रम में ढेर सारे बच्चे शामिल होंगे और नीले आसमान में पतंग का नजारा यह अलग होगा. इस पतंग बनाने में अहम भूमिका नेत्रहीन नगेंद्र दास और श्रमिक ननी गोपाल दास की कड़ी मेहनत से उनके हाथों से बनाए गए सैकड़ों रंग-बिरंगी पतंगें क्षेत्र के बच्चे अपने हाथों से उड़ाएंगे. युवाओं में बहुत उत्साह है। पतंग महोत्सव का कार्यक्रम सोनबिल के सांस्कृति क कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, असम श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के सोनबिल में तैयारियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि हाल ही में, यह देखा गया है कि बच्चे और युवा मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं और शारीरिक व्यायाम करते नहीं देखा जा रहा है। यह उनके शारीरिक व्यायाम, प्रतिभा और विकास और कई मामलों में अच्छे स्वास्थ्य में बाधा डाल रहा है। सोनबिल के सांस्कृतिक कार्यकर्ता हर साल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पतंग महोत्सव का आयोजन करते हैं, पिछले वर्ष उनके प्रबंधन के तहत, सैकड़ों रंग-बिरंगी पतंगें सोनबिल महोत्सव में नीले आसमान में उड़ती हुई देखी गईं। पहले, सोनबिल के कल्याणपुर गांव में पंच हाल टीला में कई बार पतंग महोत्सव होता था। इस वर्ष, सोनबिल के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने आनंदपुर चौदह मादल मेला मैदान में पतंग महोत्सव का आयोजन किया है, सांस्कृतिक सदस्यों बिश्यज्योति भट्टाचार्य, कंदर्प मालाकार, उज्जल दास, राहुल दास और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कहा पारंपरिक सोनबिल आनंदपुर चौदह मादल मेला मैदान में पतंग महोत्सव के उत्साह की कोई सीमा नहीं है। सोनबिल का नीला आसमान फिर से रंगीन और रंग-बिरंगी पतंगों से भर जाएगा। हर साल, सोनबिल के सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की इस असाधारण पहल से घाटी में विभिन्न हिस्सों से सांस्कृतिक व्यक्तित्व आते हैं और उनकी निस्वार्थ और प्रशंसनीय पहल का स्वागत करते हैं, इस पतंग महोत्सव के दौरान, सभी रंग-बिरंगी पतंगों को आसमान में उड़ते हुए देखकर आनंद लेते हैं और इस बार भी, वे इस कार्यक्रम को और अधिक सुंदर बनाने की योजना बनाने में व्यस्त हैं।

ब्लाक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम आयोजित

स्वतंत्र प्रभात

महराजगंज। नौतनवा ब्लाक के रतनपुर सभागार कक्ष में शनिवार को बीईओ हेमन्त कुमार मिश्र के नेतृत्व में ब्लाक स्तरीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीडीओ अमित कुमार मिश्र ने द्वीप प्रज्वलित कर व मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बीईओ ने मुख्य अतिथि बीडीओ को मोमेन्टो देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत स्कूल रेडिनस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करने वाले नोडल शिक्षकों और बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाडी कार्यकत्रियों व उनके नोडल बच्चों की एक दिवसीय कार्यशाला हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन किया गया। ब्लाक स्तर पर कुल 9 न्याय पंचायत से 45 बच्चों को बीईओ के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान एआरपी विनय सिंह, मिथिलेश पाण्डेय, संयुक्ता सिंह, संदीप वर्मा, संचालक कमलानन शुक्ल, शिक्षक राकेश तिवारी, शशांक शेखर तिवारी, हरी त्रिपाठी, कृष्णपाल चौधरी, महेन्द्र यादव, आंगनबाडी सुपरवाईजर अर्चना शर्मा, कुसुमकांती त्रिपाठी, गुणवत्ता समन्वयक संतोष कुमार, परिचारक नरिंद्र चौधरी, अलोक कुमार सहित सैकडों शिक्षक व आंगनबाडी कार्यकत्री मौजूद रहीं।

नुक्कड नाटक के मध्यम से दहेज प्रथा को लेकर किया गया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात

पिहानी हरदोई। राजकीय महाविद्यालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा गोद लिए गए गांव संतरहा में कार्यक्रम अधिकारी डॉ लक्ष्मी नारायण के निर्देशन में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के दिन रात्रि के विशेष शिविर के छठे दिन दिनांक 01/03/2025 में आज प्रातः 6.00 बजे पुनः योग एवं ध्यान सत्र का आयोजन हुआ जिसमें स्वयंसेवकों को अनुराग आर्य द्वारा योगाभ्यास और ध्यान करने का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने विभिन्न प्रकार के योगासन तथा साधना के तरीके सीखे । तत्पश्चात स्वयं सेवकों ने दहेज प्रथा और उसके दुष्प्रभाव के बारे में ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए एक नुक्कड़ नाटक खेला और दहेज के विरोध में नारे लगाए उसकी उपयोगिता के लिए लोगों को जागरूक किया । जिस के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण लोगों ने दहेज न लेने और न देने की शपथ ली उसके बाद सभी स्वयंसेवक वापस सामुदायिक भवन पर उपस्थित होकर भोजन किए शिविर के द्वितीय सत्र मेंमुख्य वक्ता डॉ कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने युवाओं में स्मार्टफोन एडिक्शन की समस्या विषयक व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन हमारा एक मित्र है लेकीन उसका ज्यादा इस्तमाल हमें स्मार्टफोन एडिक्शन की ओर ले जाता है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ लोगों को इसकी लत लग जाती है, जिसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। स्मार्टफोन के ज्यादा इस्तेमाल से कई व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके लक्षणों को पहचानना और इस लत पर काबू पाना बेहद जरूरी है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग कोई भी इसके शिकार हो सकते है द्य

स्मार्टफोन एडिक्शन से लोग अपने व्यवहार पर से नियंत्रण खो बैठते हैं और सहनशीलता की भावना भी खो देते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इससे हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ जाती है। मानसिक समस्याओं की बात करें तो फोन के ज्यादा इस्तेमाल से चिंता, अवसाद, अनिद्रा, रिश्तों में तनाव, पढ़ाई में व्यवधान और काम पर प्रदर्शन में कमी आ सकती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 44 फीसदी लोग सोशल मीडिया एडिक्शन के शिकार हैं. सोशल मीडिया की बढ़ती लत का सीधा रिश्ता वास्तविक जिंदगी में बढ़ रहे अकेलेपन और आइसोलेशन से है. इंसानों के बीच रिअल कनेक्ट नहीं है और सोशल मीडिया कनेक्शन का एक भ्रम पैदा कर रहा है।